कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय

काठाडीह, पोस्ट ऑफिस–सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492 013

दूरभाष : 0771 6499184

अधिसूचना

क्रमांक 2347/F-24-29/11/चार

रायपुर, दिनांक 19/01/12

जुलाई–दिसम्बर 2011 शैक्षणिक सत्र के परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित माह दिसम्बर 2011 की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात् प्राप्तांको का पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हो वे विश्वविद्यालय कार्यालय के वित्त शाखा में **परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के अंदर पुनर्मूल्यांकन** हेतु आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत कर सकेगें।

1. **पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र 20/–रू. वित्त शाखा में जमाकर रसीद प्रस्तुत करने पर पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र अध्ययन शाला में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं परीक्षा विभाग के सहायक लिपिक तथा महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं अपने महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।**
2. **अधिकतम् दो प्रश्न पत्रों में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान है। पुनर्मूल्यांकन शुल्क एक प्रश्न पत्र के लिए रू. 100/– तथा दो प्रश्न पत्रों के लिए रू. 200/– देय होगा।**
3. **महाविद्यालय द्वारा आवेदन–पत्र शुल्क तथा पुनर्मूल्यांकन शुल्क, प्राप्त आवेदनों के साथ परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के अंदर इस विश्वविद्यालय के वित्त शाखा में जमा किया जावेगा। डिमांड ड्राफ्ट कुलसचिव, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के पदनाम से देय होगा।**

कुलपति जी के आदेशानुसार

19/01/12

(डॉ. डी.एन. वर्मा)

कुलसचिव

पृ.क. 2348/F-24-29/11/चार

रायपुर, दिनांक 19/01/12

प्रतिलिपि:–

1. कुलपति/कुलसचिव कार्यालय।
2. समस्त संकाय प्रभारी।
3. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
4. उप–कुलसचिव।
5. वित्त शाखा।
6. अध्ययन शाला कार्यालय ।
7. सूचना पटल।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव

कुशाभाऊ ठाकरे
पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय

काठाडीह, पोस्ट ऑफिस – सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492 013

दूरभाष : 0771 6499184

पुनर्मूल्यांकन आवेदन – पत्र

प्रपत्र क्रमांक........

मूल्य : रू. 20/–

परीक्षा का नाम ———————————————

टीप : पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन – पत्र, परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा।

प्रति,

कुलसचिव,
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूँ कि मुझे निम्न दर्शाए गए प्रश्नपत्र के उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांक कराने की अनुमति /पात्रता नियमानुसार प्रदान करें।

अनुक्रमांक	विषय/प्रश्नपत्र के नाम	प्रश्नपत्र	अधिकतम अंक	संबंधित प्रश्न–पत्र का प्राप्तांक	विशेष

1. छात्र/छात्रा का नाम ———————————————
2. घर का पता ———————————————
3. परीक्षा का नाम ——————————मुख्य/परीक्षा वर्ष ——————माह ——————
4. अनुक्रमांक(रोल नं.) ———————————————
5. नामांकन क्रमांक ———————————————
6. परीक्षा केंद्र का नाम ———————————————
7. परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि ———————————————
8. निर्धारित शुल्क रूपये ——————(अक्षरी रूपये)———————————————
   विश्वविद्यालय कार्यालय में नकद रसीद क्रमांक ——————————दिनांक ——————
   द्वारा जमा किया जा चुका है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में जो जानकारी दी गई है वह सही है। अध्यादेश क्रमांक 3 एवं 4 में वर्णित शर्तो को मान्य करता/करती हूँ। मैंने पुनर्मूल्यांकन के नियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय मुझे अंतिम रूप से मान्य होगा। रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है।

दिनांक ——————

——————————

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

पूर्ण पताः–

पुनर्मूल्यांकन आवेदन–पत्र संबंधी प्रकिया के निर्देश :–

1. परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशों का समुचित अध्ययन करने के उपरांत, नियमों के अधीन पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करें।
2. आवेदन–पत्र सोच समझ कर सही–सही भरा जावे। आवेदन–पत्र में किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन आवेदन–पत्र हेतु रू 20/– शुल्क वित्त शाखा में जमा कर आवेदन–पत्र विश्वविद्यालय अध्ययन शाला के कार्य सहायक से प्राप्त कर सकते है। बी.जे.एम.सी. के महाविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र शुल्क रू. 20/– महाविद्यालय में जमाकर आवेदन–पत्र महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त करें तथा डिमांड ड्राफ्ट जो " **कुलसचिव, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर**" के पदनाम पर देय हो, तैयार कर आवेदन–पत्र अंक सूची सहित वित्त शाखा में जमा किया जावेगा।
4. आवेदन के साथ संबंधित परीक्षा की अंकसूची की छाया प्रति/परीक्षाफल अधिसूचना संलग्न किया जाना अनिवार्य है। बिना अंकसूची/परीक्षाफल अधिसूचना की प्रति के आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
5. आवेदन–पत्र बैंक ड्रफ्ट सहित विश्वविद्यालय में अंतिम तिथि के पूर्व जमा हो जाना चाहिये। शुल्क विश्वविद्यालय के केश काउण्टर में भी सीधे नगद जमा किया जा सकता है, अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. परीक्ष परिणाम निर्गमन तिथि 15 दिन की अवधि में पुनर्मूल्यांकन शुल्क रूपये 100/– प्रति प्रश्न–पत्र पर जमाकर पुनर्मूल्यांकन आवेदन किया जा सकता है।
7. परीक्षार्थी दो प्रश्न–पत्रों का पुनर्मूल्यांकन जॉच करा सकता है, दो प्रश्न पत्रों के लिए अलग अलग दो आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन पत्र में दो प्रश्न–पत्रों के लिए निवेदन किया जा सकता है।
8. पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन निम्नलिखित नियमों के आधार पर पात्रतानुसार किया जावे :–
   - (क) ए.टी.के.टी परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों हेतु पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।
   - (ख) प्रायोगिक परीक्षाओं, आंतरिक मूल्यांकन के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जावेगी।
   - (ग) जो परीक्षार्थी सेमेस्टर परीक्षा स्कीम के अंतर्गत स्नातक/डिप्लोमा/स्नातकोत्तर परीक्षाओं के सभी प्रश्न–पत्रों में सम्मिलित हुए हैं वे दो से अधिक प्रश्न–पत्रों का पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे तथा ऐसे परीक्षार्थियों के लिए शेष प्रश्न–पत्रों के प्रत्येक प्रश्न–पत्रों में कम से कम 40 प्रतिशत् तथा उस सेमेस्टर में कुल 45 प्रतिशत् उत्तीर्णांक प्राप्त किए रहना अनिवार्य है।
   - (घ) दो से अधिक प्रश्न–पत्रों में पुनर्मूल्यांकन के लिए किए गए परीक्षार्थी के आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेंगे एवं जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार जो परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन हेतु, पात्रता नहीं रखने पर भी आवेदन शुल्क जमा कर देते है उनके आवेदन–पत्र भी स्वतः निरस्त हो जावेंगे।
9. परीक्षार्थियों को पुनर्मूल्यांकन परिणाम की सूचना/जानकारी अध्ययनशाला/महाविद्यालय के माध्यम से स्वतः लेनी होगी।
10. परीक्षार्थियों को पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर संबंधित परीक्षा (यदि उनके परिणाम घोषित नहीं हुए हों तो) कुलसचिव को लिखित में अवगत कराना आवश्यक है ताकि इस संबंध में कार्यवाही किया जा सके।

A.N.G

कुलसचिव